3

21.01.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। फाइल बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक चन्दन)
RAS